

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-2318 दिनांक 23-02-15 के आलोक में श्री श्याम नारायण राम, प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को उद्योग विभाग, बिहार, पटना के लिए विभागीय आरक्षण मामलों का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स0)/उ०स्था०(विविध-नोडल पदाधिकारी)16/2015

प्रतिलिपि:- सचिव, उद्योग विभाग/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- श्री श्याम नारायण राम, प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक-2318 दिनांक 23-02-15 तथा आदेश ज्ञापांक-2686 दिनांक 12-07-2010 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-11/वि० 1-विविध-12/2010 सा०प्र० 2318 पटना-15 दिनांक 23-02-15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 1284

पटना, दिनांक:- 27/02/15

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

राकेश/27-03-15